

पंजीयन क्रमांक 751/06
दिनांक 20-4-2006
डिस्पेंच नं.
दिनांक

प्रपत्र (फार्म) संख्या - 7

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण-पत्र

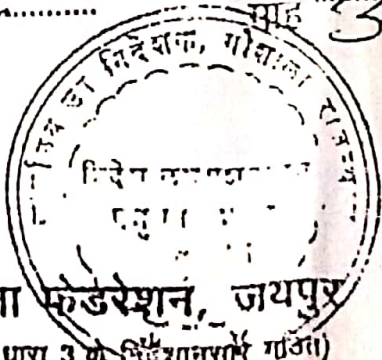


कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएं राजस्थान, जयपुर
श्री असाध कादरी गोपाल गोशाला संस्थान
भागुका गांव तहसील असलमेर
जिला असलमेर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री सुमार स्वामी आदिगक्ष न्यासी (ट्रस्टी) गोशाला
श्री असाध कादरी गोपाल गोशाला संस्थान ने राजस्थान गोशाला
भागुका गांव
अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला के
पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं चूंकि आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के
पश्चात् मैं सन्तुष्ट हो गया हूँ, कि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही है, तथा
आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण सत्य है, अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के
अनुसारण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

आज दिनांक वीस माह अप्रैल

वर्ष दो हजार



उपनिदेशक राजस्थान
पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवं उपनिदेशक
गोशाला राजस्थान, जयपुर
20-4

संलग्न से

राजस्थान स्टेट गोशाला फेडरेशन, जयपुर
(राजस्थान गोशाला एक्ट 1960 की धारा 3 के अधिनियम के अन्तर्गत)
प्री-120/121, गौमाता भवन, बजाज नगर, जयपुर-15 फोन : 2706261

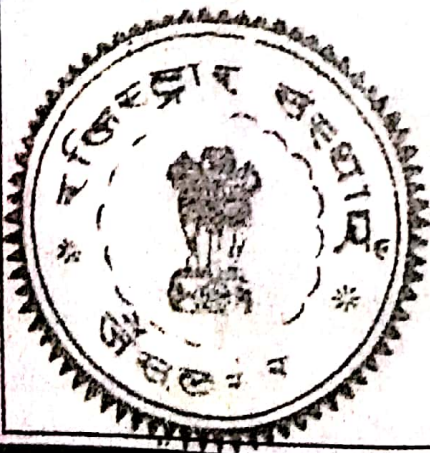


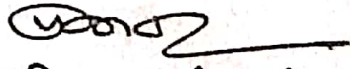
रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....७४...../जैसल/20.02.-20.03...

यह प्रमाणित किया जाता है कि ~~जैसाण कादरी गोपाल~~
~~गो सेवा संस्थान, जैसलमेर~~ जिला जैसलमेर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक.....19.....माह.....दिसम्बर.....सन् दो हजार.....दो.....को
जैसलमेर में दिया गया ।




रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर